भारतीय फुटवियर, चमड़ा तथा सहायक सामान विकास कार्यक्रम की चमड़ा क्षेत्र एकीकृत विकास उप-योजना संबंधी दिशा-निर्देश

1. उद्देश्य

वर्तमान उप-योजना का उद्देश्य यथा विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में विविधीकरण और नई इकाइयों की स्थापना करने के साथ-साथ उद्यमियों को प्रोत्साहित करने सहित चर्म शोधनशालाओं, फुटवेयर, फुटवेयर-संघटकों, चमड़े का सामान तथा सहायक वस्तुओं, चमड़े के परिधान, साज-समान एवं जीनसाजी का निर्माण करने वाली इकाइयों को अपने आप को उन्नत बनाने में सक्षम करना है, ताकि वे उत्पादक तरीके से लाभ लेने, उत्पादन क्षमता को सही आकार देने, लागत कम करने, और डिजाइन तथा विकास और रोजगार सृजन में अग्रणी हो सकें।

2. पात्रता मानदण्ड

2.1 2 वर्ष तक नगद लाभ प्राप्त करने वाले और 01 जनवरी, 2016 को अथवा इसके बाद प्रौद्योगिकी उन्नयन पर महत्वपूर्ण तथा व्यवहारिक कार्यक्रम शुरू करने वाली चर्मशोधनशालाएं, चमड़ा का सामान, जीन-साजी, चमड़े के फुटवेयर तथा फुटवेयर संघटक क्षेत्र सहित चमड़ा, फुटवियर तथा चमड़ा उत्पाद उद्योग की सभी मौजूदा इकाइयां आर्थिक सहायता के लिए पात्र हैं। इस क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने की दृष्टि से नई इकाइयों की स्थापना के लिए भी आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जायेगी। इकाइयों की सहायता पर विचार केवल तभी किया जायेगा यदि ऋण वाले मामलों में ऋण उपलब्ध कराने वाले बैंक द्वारा परियोजना को व्यवहारिक तथा अर्थक्षम निरूपित किया गया हो तथा स्व-वित्तपोषण वाले मामले में व्यवहारिक वह मामला जिसमें इकाई के पास एक कार्यशील पूंजी खाता हो।

2.2 आईडीएलएस उप-स्कीम के तहत सहायता के लिए आवेदन पर विचार उस स्थिति में ही किया जाएगा यदि वे ईपीएफओ द्वारा अपने मौजूदा कर्मचारियों, पूर्वनिवेश, न्यूनतम रोजगार सृजन, निवेश पश्चात स्थिति के लिए योजना सहित, नीचे के पैरा 2.5 के अनुसार पंजीकरण विवरण सहित होंगे।

2.3 आवेदक के अनुसूचित बैंक द्वारा वित्तपोषित इकाइयों के आधुनिकीकरण कार्यक्रम तथा स्वयं के संसाधनों से कार्यक्रम चलाने वाली मौजूदा उत्पादन इकाइयां सहायता के लिए पात्र हैं।

2.4 ऐसी परियोजनाएं, जिनके लिए बैंकों/वित्तीय संस्थाओं, द्वारा ऋण मंजूर किया गया हो अथवा अपेक्षित निधियां उपलब्ध कराई गई हो तथा वर्तमान दिशा-निर्देशों के तहत स्थापना के लिए मशीनरी खरीदी गई है। पुरानी मशीनरी के लिए सहायता प्रदान नहीं की जाएगी, क्योंकि यह योजना अनिवार्य रूप से इकाइयों के आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन में सहायता के लिए है।

2.5 विनिर्माण इकाईयों में परियोजना विस्तार अथवा नई विनिर्माण इकाईयों के निम्नलिखित परिणाम आने चाहिए:

(i) फुटवियर/गारमेंट/जीनसाजी इकाई में प्रत्येक 1 करोड़ निवेश के लिए न्यूनतम 250 नई नौकरियां अथवा निवेश के स्तर पर निर्भर करते हुए यथानुपात आधारित;

(ii) चर्मशोधनशाला इकाई में प्रत्येक 5 करोड़ निवेश के लिए न्यूनतम 350 नई नौकरियां अथवा निवेश के स्तर पर निर्भर करते हुए यथानुपात आधारित;

(iii) घटक/सहायक सामग्री इकाई में प्रत्येक 1 करोड़ निवेश के लिए न्यूनतम 150 नई नौकरियां अथवा निवेश के स्तर पर निर्भर करते हुए यथानुपात आधारित;

(iv) इकाई कीमत वसूली में प्रत्यक्ष वृद्धि और/अथवा;

(v) निर्माण क्षमताएं और/अथवा

(vi) प्रदूषण नियंत्रण मानदंडों का बेहतर अनुसरण

2.6 इस योजना के अंतर्गत नई पात्र इकाइयों को सहायता के लिए सभी अपेक्षित पंजीकरण की प्रति, इकाई की स्थापना के लिए सभी संबंधित सरकारी विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने तथा संयंत्र और मशीनरी के प्रतिष्ठापन हेतु फैक्टरी भवन के तैयार होने पर ही विचार किया जाएगा।

3. इस योजना का कार्यक्षेत्र

3.1 इस विभाग द्वारा अधिसूचित संचालन समिति मदों की सूची निर्धारित करेंगी जो कि इकाइयों के प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए इस उप-योजना के अंतर्गत सहायतार्थ अनुमन्य होगी।

3.2 संचालन समिति निम्नलिखित किस्म की इकाइयों की मौजूदा मशीनरियों को बदलकर तथा/अथवा उनका विस्तार करके या नई इकाइयों की स्थापना के लिए खरीद करके इनके संयंत्र तथा मशीनरियों की सूची को अंतिम रूप देगी जो इस उप-योजना के अंतर्गत शामिल करने के लिए पात्र होगी:

i. चर्मशोधनशालाओं का आधुनिकीकरण
ii. फुटवियर तथा फुटवियर इकाइयों का आधुनिकीकरण
iii. चमड़ा उत्पाद इकाइयों का आधुनिकीकरण
iv. साज-सामान एवं जीन-साजी इकाइयों का आधुनिकीकरण

3.3 संचालन समिति उपर्युक्त सूची में शामिल नहीं की गई किसी अन्य गतिवधि तथा आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत शामिल करने हेतु अंतिम रूप से तैयार सूची में विनिर्दिष्ट नहीं की गई मशीनों को शामिल करने पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय संस्थाओं से सलाह मांग सकती है, बशर्ते कि उनसे प्रत्यक्ष तथा व्यवहार्य सुधार हो जिसके फलस्वरूप प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा रोजगार सृजन हो। इसी प्रकार, संचालन समिति विशेषज्ञ संस्थओं की सलाह पर किसी गतिविधि/मशीन सूची को हटा सकती है।

3.4 विद्यमान इकाइयों/नई इकाइयों के पास निम्नलिखित पैरा-4 में उल्लेख किए गए अनुसार समग्र सहायता सीमा के साथ उपर्युक्त उल्लिखित एकल अथवा अनेक कार्यों का चुनाव करने का विकल्प होगा।

3.5 संचालन समिति निम्नलिखित के आधार पर आधुनिकीकरण के लिए आवेदनों पर निर्णय लेगी:

(क) पहली बार आवेदन करने वालों के लिए निष्पक्ष तथा समान सहायता और

(ख) वित्तीय संस्थाओं/बैंकों द्वारा वित्तीय मूल्यांकन तथा तकनीकी मूल्यांकन के साक्ष्यों के अनुसार आवेदक की प्रतिस्पर्धात्मक योग्यता।

3.6 इस विभाग द्वारा विभाग के सचिव की अध्यक्षता में अधिसूचित अधिकार प्राप्त समिति आंतरिक निगरानी तंत्र स्थापित करेगी तथा इस उप-योजना के तहत मंजूरी के लिए विचार किए जाने वाले मामलों की प्राथमिकता निर्धारित करने के लिए मानदण्ड बनाएगी।

4. सहायता की प्रमात्रा तथा प्रकृति

4.1 इस स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसएमई) के लिए संयंत्र तथा मशीनरी लागत की 30% तथा अन्य इकाइयों के प्रौद्योगिकी उन्नयन/आधुनिकीरण तथा/अथवा विस्तार तथा एक नई इकाई की स्थापना के लिए संयंत्र तथा मशीनरी लागत के 20% निवेश अनुदान होगा, जोकि विभाग द्वारा विभाग के सचिव की अध्यक्षता में गठित अधिकार प्राप्त समिति द्वारा प्रत्येक उत्पाद के लिए निर्धारित 3 करोड़ रु. की अधिकतम सीमा के अध्यधीन दिया जाएगा। स्वयं के संसाधनों का निवेश करने वाली इकाइयों के लिए भी निवेश अनुदान उपलब्ध होगा। इस योजना के अंतर्गत इकाइयों के उन्नयन/स्थापना की लागत में शामिल होगा:

- मशीनरी का बिल मूल्य
- बिक्री तथा उत्पाद कर/जीएसटी
- परिवहन तथा पारगमन बीमा लागत
- आयात से सम्बद्ध शुल्क
- सिविल तथा विद्युत कार्य सहित अधिष्ठापन तथा प्रारम्भ किए जाने संबधी प्रभार मशीन कुल उतराई लागत के 5% तक सीमित है।

4.2 समस्त उत्पादों के लिए अपेक्षा के अध्यधीन आनुषंगिक रोजगार सृजन योजना सहित समेकित प्रस्ताव एक साथ प्रस्तुत किया जा सकता है।

4.3 अनुदान का निर्धारण करते समय पूर्ववर्ती पांच वर्ष की योजनाओं हेतु प्राप्त किए गए किसी भी अनुदान को भी ध्यान में रखा जायेगा तथा आवेदन का मूल्यांकन करते समय संबंधित पीआईयू द्वारा पूर्ववर्ती अभिलेख का मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

5. कार्यान्वयन तंत्र

5.1 प्रशासनिक तथा निगरानी ढांचा

5.1.1 उप-योजना संबंधी कार्यान्वयन एजेंसी को चमड़ा क्षेत्र का एकीकृत विकास (आईडीएलएस) उप-योजना की परियोजना कार्यान्यन इकाई (पीआईयू) कहा जायेगा। उप-योजना वृहद् कार्यक्षेत्र के मद्देनजर, पीआईयू चर्मशोधनशालाओं, फुटवेयर, फुटवेयर संघटकों, चमड़ा-सामान तथा चमड़ा परिधान तथा जीनसाजी के लिए दो केन्द्रों से, चर्मशोधनशाला के लिए एक सीएलआरआई, चेन्नै तथा दूसरा फुटवियर, फुटवियर घटकों चमड़े-सामान तथा परिधान, जीनसाजी तथा सहायक सामग्री इकाइयों के लिए एफडीडीआई, नोएडा, संचालन करेगी।

5.1.2 इकाइयों के लिए सहायता राशि एक अनुसूचित बैंक के माध्यम से जारी की जाऐगी।

5.1.3 पीआईयू अर्थात एफडीडीआई एवं सीएलआरआई को उनके मूल्यांकित मामलों के लिए संचालन समिति द्वारा भारत सरकार की कुल अनुमोदित सहायता राशि का अधिकतम 1% की दर से उनकी सेवाओं के लिए शुल्क का भुगतान किया जायेगा। संबंधित बैंकों को भी उनकी सेवाओं के लिए भारत सरकार द्वारा अनुमोदित इकाइयों को उनके द्वारा जारी कुल राशि का अधिकतम 0.5% की दर से वितरण एजेंसी के रूप में शुल्क का भुगतान भी किया जाएगा।

5.1.4 संचालन समिति द्वारा जब कभी आवश्यक समझा जाएगा, इस अवधि के दौरान इन उप-योजनाओं के लिए उपलब्ध योजनाबद्ध परिव्यय में से सूचना का प्रचार करने के लिए विभिन्न स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।

5.1.5 संचालन समिति के पास योजना का कारगर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने, इस योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रक्रियाएं निर्धारित करने के कार्य-क्षेत्र, संयंत्र तथा मशीनरियों की सूची का निर्णय करने, आधुनिकीकरण कार्यक्रम के लिए अपेक्षित मानक संयंत्र तथा मशीनरियों के नियामक मूल्य निर्धारित करने, सरकार से वित्तीय सहायता मंजूरी प्रदान करने तथा सरकार से औद्योगिक इकाइयों के लिए वित्तीय सहायता की निगरानी व वितरण करने का अधिदेश होगा।

5.1.6 दोनों पीआईयू (एफडीडीआई तथा सीएलआरआई) संचालन समिति की मंजूर परियोजनाओं की अनुसूचित बैंकों, विनिर्माण इकाइयों तथा सरकार के साथ सक्रिय सम्पर्क के माध्यम से स्थापना सुनिश्चित करने के लिए भी जिम्मेदार होंगी। पीआईयू अनुसूचित बैंकों द्वारा प्रत्येक इकाई को जारी राशि के अनुसार प्रतिष्ठापन्न के सत्यापन हेतु संबंधति इकाई का भी दौरा करेगी तथा औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

5.1.7 आवेदनों, निधि जारी करने संबंधी प्रक्रिया तथा परिणामों की निगरानी के लिए एक ऑनलाइन वर्कफ्लो एप्लीकेशन लागू किया जाए जो उद्योग आधार, यूआईडी, पैन, जीएसटीआईएन, ईपीएफओ पंजीकरणों को भी अधिकृत कर सकता है।

5.1.8 उप-योजना के परिणामों को एक प्रभावी निगरानी तंत्र के साथ उत्पादन तथा रोजगार सृजन की शर्तों सहित प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

6. <u>अन्य शर्तें तथा निबंधन:</u>

6.1 अनुसूचित बैंक वित्तीय सहायता के वितरण से पहले भारत सरकार की तरफ से औद्योगिक इकाई के साथ एक करार निष्पादित करेगा। संबंधित अनुसूचित बैंकों द्वारा वित्तीय सहायता, मशीन के स्थल पर पहुंचने तथा भारत सरकार की तरफ से करार निष्पादित होने पर ही जारी की जायेगी तथा यह प्रत्येक उत्पाद के लिए 3 करोड़ रुपए की अधिकतम सीमा के अध्यधीन मशीनों की लागत के 30% और 20% (करार की शर्तों में उल्लेख किए गए अनुसार क्रमश: सूक्ष्म और लघु उद्यमों और अन्य उद्यमों के लिए) तक सीमित होगा।

6.2 सरकारी वित्तीय सहायता का प्रयोग मंजूर किए गए प्रयोजनों के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए नहीं किया जा सकता है। सरकार द्वारा जारी धन का इस्तेमाल उधारकर्ता द्वारा मूलधन के पुनर्भुगतान में चूक तथा ब्याज के भुगतान के समाशोधन के लिए नहीं किया जा सकता।

6.3 आधुनिकीकरण कार्यक्रम के पूरा हो जाने के बाद, औद्योगिक इकाई से अनुसूचित बैंक, पीआईयू और औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग को पूर्णता प्रमाण पत्र (संचालन समिति द्वारा निर्धारित प्रपत्र में) प्रस्तुत करने की अपेक्षा होगी।

6.4 कार्य पूरा होने की तारीख से, दो वर्ष तक, सरकारी वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली औद्योगिक इकाई से फार्म भरकर प्रचालनात्मक तथा कार्यप्रदर्शन ब्यौरे (संचालन समिति द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार) अनुसूचित बैंक तथा पीआईयू को प्रस्तुत करने की अपेक्षा होगी। पीआईयू इसके बारे में संचालन समिति को जानकारी देगी।

6.5 सरकारी वित्तीय सहायता मिलने के दो वर्ष के अंदर औद्योगिक इकाई के कार्य के बंद होने की अवस्था में प्राप्त की गई वित्तीय सहायता अनुसूचित बैंक की मुख्य उधार दर के हिसाब से (जैसा भी मामला हो) इकाई के बंद होने की तारीख से राशि लौटाने की तारीख तक के ब्याज सहित लौटाने के लिए यह इकाई जिम्मेदार होगी। अनुपालन नहीं करने की अवस्था में संबंधित बैंक आवश्यक कानूनी कार्रवाई करेगा।

6.6 किसी भी समय यह पाये जाने पर कि सरकारी सहायता जाली सूचना के आधार पर प्राप्त की गई है, औद्योगिक इकाई को वितरण की तारीख से वापस करने की तारीख तक ब्याज सहित भारत सरकार की वित्तीय सहायता राशि लौटानी होगी। यह शास्ति धारा लगाते समय ब्याज दर संबंधित बैंक की मूल उधार दर होगी।

******